



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2021/HQ/Admin/RTI-127

New Delhi: 01.03.2021

श्री दीपांशु गुप्ता
पुत्र श्री मुकेश कुमार गुप्ता
ग्राम दोस्तपुर दादपुर, तहसील-खुर्जा
जिला-बुलन्दशहर, हाल निवासी म0 न0-13,
नयागंज नैथला हाउस के पीछे, खुर्जा तहसील खुर्जा
जिला-बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश)

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।


संदर्भ: आपका आरटीआई आवेदन दिनांक 27.01.2021, जो CGM/DFCCIL, मेरठ के कार्यालय में दिनांक 02.02.2021 को एवं इस कार्यालय में दिनांक 26.02.2021 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ में, संबंधित कार्यालय से प्राप्त सूचना संलग्न है।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण और संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिसका नाम और पता इस प्रकार है;

सुश्री आर० पी० छिबबर
समूह महाप्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,
5 वीं मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,
प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001

संलग्न: 02 पृष्ठ


01.03.2021

(एस. के. राय)

उप. महाप्रबंधक / प्रशा. (ज. सू. अ.)

011-23454707

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालयपांचवा तल :, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली 110001 -

Regd. & Corporate Office: 5th Floor, Supreme Court Metro Station Building Complex, New Delhi-110001

Tel: 91 - 11+23454700, Fax No. 91-11-23454701 Web : www.dfccil.com, CIN :U60232DL2006GOI155068



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
A Govt. of India (Ministry of Railway) Enterprises

पत्रांक: एमटीसी/ईएन/आर0टी0आई0/भाग-7

दिनांक: 25.02.2021

डिप्टी जी0एम0/एडमीन (पी0आई0ओ0)

कॉरपोरेट ऑफिस डीएफसीसीआईएल

प्रगति मैदान, नई दिल्ली।

विषय: सूचना अधिकार अधिनियम- 2005 की धारा-6(3) के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: आवेदनकर्ता श्री दीपांशु गुप्ता पुत्र मुकेश कुमार गुप्ता (नि0 ग्राम दोसपुर दादूपुर तहसील खुर्जा जिला बुलन्दशहर हाल नि0 म0न0 13 नयागंज नैथला हाउस के पीछे खुर्जा तहसील खुर्जा जिला बुलन्दशहर) का प्रार्थना पत्र दिनांक 27.01.2021 (प्राप्ति दिनांक 02.02.2021)।

सन्दर्भित पत्र के माध्यम से चाही गयी सूचना की जानकारी निम्नवत है।

पैरा नं0	चाही गयी सूचना	उपलब्ध करायी जा रही सूचना
1	भूमि अधिग्रहण अन्डरपास वर्ष 2017-18 भूमि अर्जन अधिनियम 2013 डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 परियोजना के अर्न्तगत/माईकोप्लान के तहत प्रभावित कृषको के दिये जाने वाली धनराशि का शासनादेश/नियमों की सत्यापित प्रति दिलाने की कृपा करें।	तहसील खुर्जा, जिला बुलन्दशहर के 06 ग्राम क्यौली कला, नायसर, दोसपुर दादूपुर, डाबर, सराबा दादूपुर, नगला कट की भूमि डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 अन्डरपास निर्माण हेतु नये भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अन्तर्गत वर्ष 2017-2018 में अधिग्रहण की गयी है। विशेष रेल परियोजना में प्रभावित काश्तकारों पुर्नवास सहायता राशि रेल मंत्रालय/रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या- E(NG)II/2010/RC-5/1 नई दिल्ली दिनांक 11.11.2019 के अन्तर्गत पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत सहायता राशि हेतु माईकोप्लान आजीविका की क्षतिपूर्ति हेतु मुख्य महाप्रबन्धक, टुन्डला द्वारा दिनांक 07.01.2020 के अन्तर्गत अनुमोदित के अनुसार तैयार किया गया है। पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन मौलिक पात्रता सारणी-2015 की प्रति निम्नलिखित लिंक से प्राप्त की जा सकती है। http://dfccil.com/upload/Entitlement_Matrix_for_DFC_Projecct_in_accordance_with_New_Land_Aquisition_Act_2013.pdf
2	डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 परियोजना के अर्न्तगत प्रार्थी के ग्राम दोसपुर दादुपर तहसील खुर्जा जिला बुलन्दशहर अधिग्रहण की गयी भूमि, नये भूमि अर्जन अधिनियम-2013 के अर्न्तगत खाता सं0 00065 के प्रत्येक खाताधारक के माईकोप्लान के तहत पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत प्रत्येक परिवार को कितनी धनराशि की देयता बनाती है, सूचना दिलाने की अनुकम्पा करें।	ग्राम दोसपुर दादूपुर तहसील खुर्जा जिला बुलन्दशहर के माईकोप्लान में खाता संख्या 00065 अंकित नहीं है हालाकिं गाटा संख्या 199 में दीपांशु कुमार ना0बा0 12 वर्ष पुत्र मुकेश कुमार अंकित है, जिसके लिए 01 लाख की धनराशि माईकोप्लान (आजीविका की क्षतिपूर्ति) का मुख्य महाप्रबन्धक, टुडला द्वारा अनुमोदित किया गया है।
3	माईकोप्लान परियोजना के नियमों के अर्न्तगत/ नये भूमि अर्जन अधिनियम-2013 के अनुसार खाता सं0 00065 में प्रार्थी को पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन पात्रता	कम संख्या-02 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

3	माईकोप्लान परियोजना के नियमों के अर्न्तगत/ नये भूमि अर्जन अधिनियम-2013 के अनुसार खाता सं0 00065 में प्रार्थी को पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन पात्रता के मूल सिद्धांत के अनुसार पांच लाख रूपये दिया जाना संभव है, अवगत कराने की अनुकम्पा करें।	कम संख्या-02 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
4	प्रार्थी दोसपुर दादूपुर का मूल निवासी है प्रति परिवार को एकमुश्त धनराशि प्रदान किये जाने की व्यवस्था से सम्बन्धित सत्यापित प्रति सहित दिलाने की अनुकम्पा करें।	यह सूचना कम संख्या-01 में दी गयी है।
5	डी0एफ0सी0सी0आई0एल टुण्डला द्वारा स्वीकृत माईकोप्लान एवं धनराशि दिनांक 07.01.2020 को वितरण दिनांक 17.10.2020 की अनुमति दी गयी थी। प्रार्थी को दिये जाने वाले एकमुश्त मुआवजा की धनराशि किस नियम पर आधारित होगी, अवगत कराने की अनुकम्पा करें।	पुर्नवास व पुर्नस्थापन माईकोप्लान कम संख्या-01 पर दर्शाये गये प्राविधानों के आधार पर धनराशि दी जाएगी।
6	पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन सिद्धांत के आधार पर माईकोप्लान की सत्य प्रतिलिपि दिलाने की कृपा करें।	यह है कि माईकोप्लान पुर्नवास सहायता राशि की सत्यापित प्रति 02 रूपये प्रति कापी के हिसाब से दोसपुर दादूपुर का माईकोप्लान 08 रूपये का पोस्टल ऑर्डर मुख्य महाप्रबन्धक, कार्यालय डी0एफ0सी0सी0आई0एल मेरठ में जमा करके प्राप्त की जा सकती है।
7	पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन माईकोप्लान के तहत किस प्रकार व किस आधार पर उक्त धनराशि दिये जाने की व्यवस्था है, कि सत्य प्रतिलिपि दिलाने की कृपा करें।	पुर्नवास व पुर्नस्थापना माईकोप्लान कम संख्या-01 पर दर्शाये गये प्राविधानों के आधार पर धनराशि दिये जाने की व्यवस्था है, जिसकी सत्यापित प्रति मुख्य महाप्रबन्धक, डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 मेरठ कार्यालय से प्रति प्राप्ति हेतु 02 रूपये प्रति कापी के हिसाब से दोसपुर दादूपुर का माईकोप्लान 08 रूपये का पोस्टल ऑर्डर मुख्य महाप्रबन्धक, कार्यालय डी0एफ0सी0सी0आई0एल मेरठ में जमा करके प्राप्त की जा सकती है।
8	एक ही खाते के विभिन्न खाताधारक के अलग-2 परिवार मानते हुए पुर्ववास एवं पुर्नस्थापना के रूप में प्रत्येक परिवार को 5-5 लाख रूपये दिया जाना प्रस्तावित है, अवगत कराने की अनुकम्पा करें।	कम संख्या-02 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
9	क्या प्रार्थी खाता सं0 00065 के अनुक्रम में पांच लाख रूपये पुर्ववास एवं पुर्वस्थापना के रूप में प्राप्त करने की अधिकारी है अथवा नहीं?	कम संख्या-01 व 02 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(महावीर सिंह)

उप. जनसूचना अधिकारी/
उप. परियोजना प्रबंधक/विद्युत
डीएफसीसीआईएल, मेरठ।